सप्तदश

बिहार विधान सभा

षष्ठम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 06 आषाढ़, 1944 (श०)
27 जून, 2022 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 10

(1) सामान्य प्रशासन विभाग	..	..	03
(2) वित्त विभाग	..	..	02
(3) गृह विभाग	..	..	04
(4) मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	..	..	01
		कुल योग	- 10

कार्रवाई करना

1. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी (अ0जा0))--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 9 मई, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "प्रश्न पत्र वायरल होने पर बी0पी0एस0सी0 67वीं पी0टी0 रद्द" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में 67वीं बी0पी0एस0सी0 पी0टी0 की परीक्षा प्रश्न पत्र वायरल होने के कारण रद्द कर दिया गया है, जबकि राज्य के 1083 केन्द्र पर 5 लाख 18 हजार परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे, यदि हाँ, तो सरकार 67वीं बी0पी0एस0सी0 पी0टी0 परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुये भविष्य में इस तरह की परीक्षा में प्रश्न पत्र वायरल न हो, इस हेतु कौन-सी उपाय करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा रद्द हो जाने के कारण परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों की गणना नहीं की गई है ।

दिनांक 8 मई, 2022 को आयोजित बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा के 'सी' सेट के प्रश्न वायरल होने की सूचना आयोग को प्राप्त हुई । आयोग ने तथ्य की सत्यता की जाँच हेतु त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया । समिति ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रश्न पत्र वायरल होने की सूचना को सही पाते हुये परीक्षा की सुचिता को बरकरार रखने हेतु परीक्षा को रद्द करने एवं सम्पूर्ण मामले की जाँच साईबर सेल से कराने की अनुशंसा की । समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करते हुये पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना से इसकी जाँच साईबर सेल से कराने का अनुरोध किया गया ।

आर्थिक अपराध इकाई द्वारा दिनांक 8 मई, 2022 को ही एफ0आई0आर0 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया । अनुसंधान में प्रश्न पत्र वायरल होने में किसी भी स्तर पर पदाधिकारियों/कर्मियों की भूमिका होने पर उनके विरुद्ध सख्त कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई की जायेगी ।

67वीं बिहार लोक सेवा आयोग पी0टी0 के पश्चात् आयोग के द्वारा दो परीक्षाएँ सम्पन्न करायी गई है :--

(1) बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा (दिनांक 15 मई, 2022) एवं

(2) उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की परीक्षा (दिनांक 31 मई, 2022) । इन परीक्षाओं में निम्नलिखित सुधार किये गये हैं :--

1. परीक्षार्थियों को पूर्व में परीक्षा प्रारंभ होने तक परीक्षा केन्द्रों में प्रवेश की अनुमति थी । इसमें सुधार कर परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व तक परीक्षा केन्द्रों में प्रवेश करने का निर्देश दिया गया ।

पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना

2. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 5 मई, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "थानों में लम्बित है एक लाख केस कम करने को चलेगा अभियान" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 1067 पुलिस थानों में मार-पीट, हत्या सहित अन्य आपराधिक घटना के एक लाख से अधिक मामले लम्बित हैं, लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता है जिस कारण लोगों में न्याय के प्रति असंतोष है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अनुसंधानकर्ता की लापरवाही एवं अस्पतालों द्वारा समय पर इन्क्वेस्ट रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण मामले लम्बित पड़े हुये हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार थानों में लम्बित मामलों का निष्पादन कराने एवं लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

3. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--स्थानीय हिन्दी समाचार-पत्र में दिनांक 26 मई, 2022 को प्रकाशित शीर्षक ''पटना में 13 आई0पी0एस0 फिर भी हत्या, डकैती और चोरी में नम्बर वन सिटी इलाके में तो रोज औसतन एक मर्डर'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य की राजधानी पटना में 13 आई0पी0एस0 अफसरों की तैनाती के बाद भी हत्या, डकैती और चोरी के मामले में पटना जिला नम्बर वन है, जबकि लूट में चौथे नम्बर पर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के अन्य जिलों को छोड़कर केवल राजधानी पटना में विगत चार माह में 97 हत्या, 10 डकैती, 54 लूट, 206 चोरी तथा 21 रेप की घटना घटित हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार के महकमों में दर्जनों आई0पी0एस0 पदाधिकारियों की तैनाती का क्या औचित्य है ?

कार्रवाई करना

4. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--स्थानीय हिन्दी समाचार-पत्र में दिनांक 7 जून, 2022 को प्रकाशित शीर्षक ''गुमशुदा बच्चों में आधे से कम ही वापस पहुँच पाते घर'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में प्रत्येक वर्ष औसतन पाँच हजार लापता बच्चों में से आधे से कम बच्चे ही घर वापस लाने में राज्य की पुलिस कामयाब होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2019 में गुमशुदा 7297 बच्चों में से मात्र 3188, 2020 में 2867 बच्चों में से 1193 तथा 2021 में 6395 लापता बच्चों में से 2838 बच्चे ही राज्य पुलिस द्वारा बरामद किये गये, यानी विगत तीन वर्षों में 16559 लापता बच्चों में से 9340 बच्चों को अबतक खोजने में सरकार विफल रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार संबंधित दोषी पदाधिकारियों पर कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आरक्षण देना

5. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य सेवाओं में समूह ''क'', ''ख'' एवं ''ग'' के रिक्त पदों पर नियुक्तियों में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में सामान्य श्रेणी में मानकर 40 प्रतिशत का लाभ दिया जा रहा है, किन्तु समूह ''ख'' एवं ''ग'' के रिक्त पदों पर नियुक्तियों में झारखंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों में राज्य के मूल निवासी होना अनिवार्य है तथा समूह ''क'' के पदों पर सामान्य श्रेणी में मात्र 10 प्रतिशत ही आरक्षण देने का प्रावधान है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य के समूह ''ख'' एवं ''ग'' के रिक्त पदों पर नियुक्तियों में राज्य के मूल निवासी होने की अनिवार्यता लागू करते हुये राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को समूह ''क'' के रिक्त पदों पर ही सामान्य श्रेणी में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्याधीन सेवाओं की नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़े वर्गों की महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलाकर कुल 60 प्रतिशत रिक्तियाँ राज्य के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की गई है । शेष 40 प्रतिशत रिक्तियाँ गुणागुण कोटि के अधीन रखी गई है, जिसके अन्तर्गत मेधा के आधार पर शत-प्रतिशत राज्य के अभ्यर्थी भी चयनित हो सकते हैं । इस 40 प्रतिशत रिक्ति के विरुद्ध चयन का आधार केवल मेधा है, जिसके विरुद्ध बिहार राज्य के साथ अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी चयनित हो सकते हैं ।

कंडिका (1) के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

पेंशन का लाभ

6. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि एन0पी0एस0 लागू करने के केन्द्र सरकार के 1 जनवरी, 2004 के फैसले को बिहार राज्य में दिनांक 1 सितम्बर, 2005 से लागू किया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार के अन्तर्गत एन0पी0एस0 वाले कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को 7 साल तक बेसिक का 50 प्रतिशत + महंगाई भत्ता और 7 साल के बाद बेसिक का 30 प्रतिशत + महंगाई भत्ता बतौर पेंशन मिलता है जबकि बिहार में इस योजना को अभीतक लागू नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के एन0पी0एस0 वाले कर्मियों को केन्द्रीय कर्मियों के समरूप पेंशन का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) अंशतः स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित एन0पी0एस0 नियमावली 30 मार्च, 2021 के अनुसार एन0पी0एस0 कर्मी विकल्प का चयन कर मृत्यु की स्थिति में सी0सी0एस0 (पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत अनुमान्य पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।

(3) बिहार सरकार द्वारा एन0पी0एस0 नियमावली का गठन प्रक्रियाधीन है । नियमावली गठन के पश्चात् गठित नियमावली के आलोक में कार्रवाई की जायेगी ।

कार्यान्वयन समिति का गठन

7. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा/अनुश्रवण हेतु 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन प्रखंड एवं जिला स्तर पर करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विगत 8 वर्षों से राज्य में बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का प्रखंड/जिला स्तर पर गठन नहीं होने से राज्य में ग्रामीण/शहरी स्तर पर क्रियान्वित होने वाले योजनाओं में गड़बड़ी का समाधान ससमय नहीं हो पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य में बीस सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन राज्य के सभी प्रखंडों एवं जिलों में कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

8. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 कैमूर)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सेना में भर्ती के लिये केन्द्र सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना शुभारम्भ किया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार के विभिन्न शहरों में उपद्रवियों के द्वारा भारी क्षति पहुँचाया गया तथा हिंसक प्रदर्शन में करोड़ों की सरकारी सम्पत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया एवं आम नागरिकों को भी करोड़ों का क्षति हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन उपद्रवियों के ऊपर कठोर-से-कठोर कार्रवाई के साथ-साथ आम नागरिकों को जो क्षति हुआ है, उसका भरपाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आरक्षण का अनुपालन कराना

9. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (क्षेत्र संख्या-207 चेनारी (अ0जा0))--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्ष 2015 में सभी विभागों को आदेश निर्गत किया था कि बिहार में सरकारी कार्यों में 15 लाख रुपये तक प्राक्कलित राशि SC/ST, EBC, BC और महिला BC के संवेदकों के लिये जनसंख्या के आधार पर कुल 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त आदेश के आलोक में पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग सहित सभी विभागों में 15 लाख रुपये प्राक्कलित राशि तक SC/ST, EBC, BC और महिला BC के संवेदकों को कार्यों में 50 प्रतिशत के आरक्षण का अनुपालन नहीं हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड (1) के आदेश का पालन SC/ST, EBC, BC और महिला BC के संवेदकों को कार्यों में 50 प्रतिशत के आरक्षण का अनुपालन कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ई0एम0आई0 की जबरन वसूली को बंद करना

10. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में संचालित नन-बैंकिंग कम्पनियों यथा कोडेक महेन्द्रा, एन0डी0एफ0सी0, बजाज फाइनेंस इत्यादि सहित 32 नन-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा मोटरकार, दो पहिया वाहन, इलेक्ट्रॉनिक गुड इत्यादि के क्रय पर ई0एम0आई0 पर ऋण दिया जाता है, परंतु नन-फाइनेंसिंग कम्पनियों द्वारा गैर-कानूनी रूप से विगत 10-12 वर्षों से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से जबरन ई0एम0आई0 की वसूली करायी जा रही है, जिससे संबंधित उपभोक्ता अपमानित हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कम्पनियों द्वारा ई0एम0आई0 की जबरन वसूली को बंद कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 27 जून, 2022 (ई0) ।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 21(एल0ए0), 2022-23-डी0टी0पी0-550